भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1867

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले

1867. श्री परिमल नथवानी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के कई मामलों की जानकारी मिली है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार पुलिस द्वारा अत्याचार और विदेशी आतंकवादियों एवं अपराधियों के साथ मुठभेड़ के मामलों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को अलग-अलग वर्गीकृत करने का विचार रखती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने और मानवाधिकार के प्रभावी संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख) : वर्ष 2013-14 , 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (दिनांक 30.6.2016 तक) के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा दर्ज मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की शिकायतों की राज्य-वार संख्या के साथ-साथ उसकी स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है। ऐसे मामलों का ब्यौरा, जिनमें एन.एच.आर.सी. ने आर्थिक राहत के बारे में सिफारिश की हैं और उन मामलों का ब्यौरा, जिनमें उक्त अवधि के दौरान एन.एच.आर.सी. ने

अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, क्रमश: अनुलग्नक-।। और अनुलग्नक-।।। में दिया गया है।

(ग) और (घ) : मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच और पूछताछ करने के लिए एन.एच.आर.सी. नोडल एजेंसी है। मामला दर्ज करते समय, आयोग पुलिस की ज्यादती, मुठभेड़ में होने वाली मौतों और फर्जी मुठभेड में कथित मौत के बारे में शिकायतों सहित विभिन्न शीर्षों के तहत मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों का वर्गीकरण करता है। तथापि, विदेशी आतंकवादियों और अपराधियों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मामलों की जांच में पारदर्शिता लाने के लिए विधान, नियम, विनियम आदि बनाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, एन.एच.आर.सी. ने शीघ्र मजिस्ट्रेट स्तर की जांच और पुलिस कार्रवाई में मौत की सूचना ऐसी घटनाओं आदि के 48 घंटे के अंदर देने, आदि सहित पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनारों और शिविर बैठकों के दौरान आयोग मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राज्य सरकारों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सुग्राही बनाने का प्रयास करता है।

*****

अनुलग्नक-।।। के पृष्ठ 1 का 1

राज्य सभा अता० प्र० सं० 1867

वर्ष 2013 से 2016 के दौरान उन मामलों की राज्य-वार कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण जिनमें एनएचआरसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की सिफारिश की है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुशासनात्मक कार्रवाई	अभियोजन
आन्ध्र प्रदेश	1	
बिहार	5	
छत्तीसगढ़	4	
दिल्ली	6	
हरियाणा	4	
हिमाचल प्रदेश	1	
झारखंड	2	
कर्नाटक	1	
मध्य प्रदेश	7	
महाराष्ट्र	2	
मेघालय	1	
मिजोरम	1	
ओडिशा	5	
पुदुचेरी	1	
पंजाब	5	
राजस्थान	6	
तमिलनाडु	1	
तेलंगाना	1	
उत्तर प्रदेश	49	1
उत्तराखंड	2	
पश्चिम बंगाल	2	
कुल	107	1

***

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 1867

वर्ष 2013-14,2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में दर्ज, निपटाए गए, लंबित मामलों की राज्य-वार कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

		2013-2014			2014-2015			2015-2016			2016-2017 दिनांक 30.6.2016 तक)		
क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामलों की सं.	निपटाए गए	लंबित	दर्ज मामलों की सं.	निपटाए गए	लंबित	दर्ज मामलों की सं.	निपटाए गए	लंबित	दर्ज मामलों की सं.	निपटाए गए	लंबित
1	आन्ध्र पदेश	931	846	85	1224	1069	155	1335	1136	199	336	308	28
2	अरुणाचल प्रदेश	48	29	19	158	140	18	38	20	18	5	1	4
3	असम	407	310	97	644	495	149	366	259	107	77	52	25
4	बिहार	4362	4047	315	4516	3925	591	4141	3606	535	1113	1021	92
5	गोवा	55	54	1	54	47	7	69	62	7	23	21	2
6	गुजरात	1585	1496	89	1565	1442	123	1445	1278	167	274	237	37
7	हरियाणा	10297	10088	209	13331	12793	538	11606	11157	449	2271	2167	104
8	हिमाचल प्रदेश	256	224	32	285	236	49	223	196	27	55	47	8
9	जम्मू और कश्मीर	389	356	33	369	325	44	213	191	22	50	45	5
10	कर्नाटक	698	662	36	1515	1380	135	979	901	78	287	258	29
11	केरल	583	542	41	648	506	142	998	656	342	164	143	21
12	मध्य प्रदेश	2392	2232	160	3652	3317	335	2969	2700	269	731	627	104
13	महाराष्ट्र	3164	2973	191	2980	2683	297	3015	2794	221	669	604	65
14	मणिपुर	93	69	24	124	95	29	76	38	38	17	8	9
15	मेघालय	59	43	16	96	39	57	53	22	31	12	9	3
16	मिजोरम	19	11	8	19	17	2	20	10	10	6	1	5
17	नागालैंड	20	13	7	42	22	20	8	3	5	1	0	1
18	ओडिशा	5435	4857	578	5853	4871	982	16278	15807	471	1492	1430	62
19	पंजाब	1908	1786	122	1807	1546	261	1435	1199	236	325	249	76
20	राजस्थान	2649	2433	216	3195	2698	497	3263	2649	614	797	679	118
21	सिक्किम	17	15	2	20	18	2	11	8	3	1	1	0
22	तमिलनाडु	2678	2554	124	2280	2094	186	3138	2948	190	620	553	67
23	त्रिपुरा	1040	1027	13	83	66	17	54	39	15	8	4	4
24	उत्तर प्रदेश	44800	42651	2149	50723	46448	4275	49721	44709	5012	13191	11857	1334
25	पश्चिम बंगाल	1465	1339	126	2001	1705	296	2127	1852	275	412	365	47
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35	32	3	23	19	4	32	25	7	5	4	1
27	चंडीगढ़	165	155	10	202	182	20	206	177	29	59	53	6
28	दादरा और नगर हवेली	18	17	1	14	11	3	8	8	0	3	3	0
29	दमण और दीव	13	12	1	10	9	1	22	19	3	3	1	2
30	दिल्ली	7168	6798	370	9076	8322	754	7626	6731	895	1707	1506	201
31	लक्षद्वीप	36	35	1	11	10	1	9	6	3	1	1	0
32	पुदुचेरी	75	67	8	92	77	15	123	109	14	35	26	9
33	छत्तीसगढ़	820	703	117	1192	914	278	822	600	222	192	159	33
34	झारखंड	1645	1497	148	1983	1712	271	1670	1386	284	406	351	55
35	उत्तराखंड	1857	1820	37	3101	2978	123	1821	1692	129	481	441	40
36	तेलंगाना	654	583	71	903	770	133	1092	958	134	275	245	30
37	कुल अखिल भारत	75	72	3	80	79	1	416	411	5	123	120	3
	कुल योग	97911	92488	5463	113871	103060	10211	117428	106362	11066	66227	23597	2630

वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान एनएचआरसी द्वारा सिफारिश किए गए आर्थिक सहायता के मामलों की राज्य-वार कुल संख्या का दर्शाने वाला विवरण

	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17 (दिनांक 30.06.2016 तक)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की सं.	राशि(लाख रू.)	मामलों की सं.	राशि(लाख रू.)	मामलों की सं.	राशि(लाख रू.)	मामलों की सं.	राशि(लाख रू.)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आन्ध्र प्रदेश	11	23.85	7	11.00	7	8.30	3	1.75
अरुणाचल प्रदेश	3	36.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
असम	30	186.20	4	7.50	4	7.50	8	45.00
बिहार	21	40.80	21	23.40	19	28.45	6	7.85
चंडीगढ़	1	0.15	2	4.00	0	0.00	2	6.00
छत्तीसगढ़	8	29.50	15	31.00	14	22.60	0	0.00
दमण और दीव	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दिल्ली	31	49.80	23	55.10	17	37.05	5	3.50
गुजरात	7	40.40	11	17.80	6	12.25	3	5.00
हरियाणा	16	39.65	13	23.00	15	32.50	9	17.20
हिमाचल प्रदेश	1	5.00	3	11.00	2	2.00	0	0.00
जम्मू और कश्मीर	2	11.00	0	0.00	2	9.00	0	0.00
झारखंड	14	46.50	14	118.00	17	61.00	7	13.35
कर्नाटक	7	10.60	0	0.00	5	5.80	2	3.25
केरल	8	13.50	6	16.00	2	1.50	0	0.00
मध्य प्रदेश	18	48.45	20	86.00	14	30.70	8	13.00
महाराष्ट्र	19	63.75	14	16.50	13	38.00	11	35.00
मणिपुर	17	91.00	7	40.50	10	61.00	3	20.00
मेघालय	3	20.00	1	0.25	1	5.00	1	20.00
मिजोरम	0	0.00	1	0.50	0	0.00	2	2.00
ओडिशा	12	50.85	26	106.45	20	31.60	16	26.00
पुदुचेरी	1	3.00	0	0.00	6	11.50	0	0.00
पंजाब	6	29.78	6	7.50	5	7.25	3	2.25
राजस्थान	17	41.30	20	49.65	11	13.45	5	7.75
सिक्किम	1	3.00	0	0.00	0	0	0	0
तमिलनाडु	8	20.15	10	13.50	7	9.25	4	10.00
तेलंगाना	7	12.00	4	4.00	8	16.00	1	1.00
त्रिपुरा	2	12.00	2	1.30	4	1.30	0	0
उत्तर प्रदेश	146	489.85	128	239.05	102	137.45	41	56.20
उत्तराखण्ड	6	36.30	7	15.20	5	4.35	0	0
पश्चिम बंगाल	18	63.30	12	20.10	9	18.75	6	8.75
कुल	443	1521.68	377	918.3	326	614.55	146	304.85